न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या –165/09

रामरसिक–––बनाम––– यमुना आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–61क1

दिनांक–08.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–61क1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–61क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं०–3 हरीलाल का देहान्त दिनांक 15.06.2021 को हो गया है। मृतक के विधिक व जायज वारिस में उनके लड़के जय प्रकाश, लाल बिहारी, श्री प्रसाद व पत्नी कलावली है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

पूर्व में आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं०–3 हरीलाल का देहान्त दिनांक 15.06.2021 को हो गया है जिनके विधिक व जायज वारिसान उनके लड़के जय प्रकाश, लाल बिहारी, श्री प्रसाद व पत्नी कलावली है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली सन् 2009 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी का मृतक प्रतिवादी सं०–3 हरीलाल के वारिसानो के विरूद्ध वादकारण शेष है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र कागज सं०–61क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०–61क1 स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। वादी मृतक के वारिसान 3/1 ता 3/4 पर उभयप्रकार से पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।

लंच बादः–

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं०–

12 अरविन्द का देहान्त दिनांक 30.07.2021 को हो गया है। मृतक के विधिक व जायज वारिस में उनकी पत्नी इन्द्रावती, लड़का अंकित व लड़की सन्धया है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

पूर्व में आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं०–12 अरविन्द का देहान्त दिनांक 30.07.2021 को हो गया है जिनके विधिक व जायज वारिसान में उनकी पत्नी इन्द्रावती, लड़का अंकित व लड़की सन्धया है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली सन् 2009 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी का मृतक प्रतिवादी सं०–12 अरविन्द के वारिसानो के विरूद्ध वादकारण शेष है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०–63क1 स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। वादी मृतक के वारिसान 12/1 ता 12/3 पर उभयप्रकार से पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 65क1/A.W.S. दिनांक–16.11.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02520